

पुराने गंभीर अपराधों का निराकरण

- 8 वर्ष पूर्व घटित डॉक्टर दंपत्ति की हत्या के **थाना कवर्धा** में दर्ज प्रकरण का निराकरण।
- 4 वर्ष पूर्व घटित गनेशिया बाई धुर्वे का जमीन बंटवारा को लेकर हत्या के **थाना तरेगांव** में दर्ज प्रकरण का निराकरण।
- वर्ष 2023 में घटित सुन्दरसिंह धुर्वे का पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते हत्या **थाना तरेगांव** के प्रकरण का निराकरण।
- 8 वर्ष पूर्व घटित नाबालिग लड़की राजबाई गोड़ 14 साल की हत्या कर पेड़ में लटकाना, **थाना कुकदुर** के दर्ज प्रकरण का निराकरण।

वर्ष 2025 में घटित गंभीर अपराधों का कबीरधाम पुलिस द्वारा निराकरण

- थाना कुकदुर में दर्ज सुरेश बघेल को नाबालिकों द्वारा मारपीट कर हत्या एवं करिया मरकाम को अपनी बहन की शादी को लेकर की हत्या प्रकरण का निराकरण।
- थाना पांडातराई में दर्ज रामगुलाल बैगा की खुद के पुत्र द्वारा तीर कमान व टंगिया से की हत्या एवं नाबालिग लड़की विद्यानी 16 साल की पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी ने की हत्या के प्रकरण का निराकरण।
- थाना कवर्धा में दर्ज विनोद साहू सिंघनपुरी की अवैध संबंध के शक में की हत्या के प्रकरण का निराकरण।
- थाना सिंघनपुरी में दर्ज झड़ीराम साहू 70 साल की पोते ने पेट्रोल डालकर आग लगाकर की हत्या के प्रकरण का निराकरण।
- थाना बोड़ला में दर्ज अगमदास कुर्रे की जमीन विवाद के कारण हत्या के प्रकरण का निराकरण।
- थाना कुण्डा में दर्ज मूक बधिर महिला से दुष्कर्म के मामले का निराकरण।
- महिला थाना में दर्ज आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के प्रकरण का निराकरण।

वर्ष 2025 में दर्ज अपराधों में कमी की जानकारी

- ❖ हत्या के प्रकरण में 10 प्रति. की कमी, हत्या के प्रयास में 57 प्रति. की कमी, अपहरण में 16 प्रति. की कमी, डकैती में 100 प्रति. की कमी, **लूट के प्रकरण में 94 प्रतिशत की कमी**, चोरी में 43 प्रति. की कमी, नकबजनी में 66 प्रति. की कमी, खयानत में 50 प्रति. कमी, धोखाधड़ी के प्रकरण में 41 प्रति. की कमी, आगजनी के 22 प्रति. कमी, शीलभंग में 42 प्रति. की कमी, दहेज प्रताड़ना में 36 प्रति. की कमी हुई है।

वर्ष 2025 में गांजा एवं आबाकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

- ❖ एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष में 20 प्रकरण में 683.914 क्यूंटल गांजा की कार्यवाही एवं वर्ष 2025 में 945.525 कि.ग्रा. गांजा नष्टीकरण किया गया।
- ❖ आबाकारी एक्ट के तहत वर्ष 2024 में 868 प्रकरण में 1400.6 लीटर एवं वर्ष 2025 में 463 प्रकरण में 5995.08 लीटर अवैध शराब जप्त की गई। पिछले वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक शराब जप्त हुई।

—:: भा.द.वि./बीएनएस के अपराधों की जानकारी, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) ::—
कलैण्डर वर्ष —2024 एवं 2025 में (01 जनवरी से 28 दिसम्बर तक)

क्र०	अपराध शीर्ष	वर्ष— 2024 (31 दिसम्बर तक)	वर्ष— 2025 (31 दिसम्बर तक)	पिछले वर्षों की तुलना में कमी/वृद्धि
01.	हत्या	29	26	10 प्रति. कमी
02.	हत्या का प्रयास	26	11	58 प्रति. कमी
03.	आपराधिक मानव वध	02	03	आंशिक वृद्धि
05.	अपहरण/व्यपहरण	118	99	16 प्रति. कमी
06.	डकैती	02	—	100 प्रति. कमी
07.	डकैती की तैयारी व जमाव	—	—	—
08.	लूट	17	01	94 प्रति. कमी
09.	न्कबजनी	150	50	67 प्रति. कमी
10.	चोरी (समस्त प्रकार की)	106	60	43 प्रति. कमी
11.	ब्लवा	46	52	आंशिक वृद्धि
12.	खयानत	04	02	50 प्रति. कमी
13.	धोखाधड़ी	46	27	41 प्रति. कमी
14.	जालीनोट	01	01	समतुल्य
15.	टागजनी	09	07	22 प्रति. कमी
16.	चौंट	945	942	0.31 कमी
17.	दहेज मृत्यु	02	—	—
18.	शीलभंग	49	28	43 प्रति. कमी
19.	यौन उत्पीड़न/छेड़ छाड़	04	05	आंशिक वृद्धि
20.	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना	36	23	36 कमी
21.	लड़कियों का आयात	—	—	—
23.	अन्य भादवि	312	298	04 प्रति. कमी
योग		2077	1867	10.11 प्रति. कमी

-:: वर्ष 2025 में मिली सफलताएं की जानकारी जिला-कबीरधाम (छ.ग.) ::-

(दिनांक- 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक)

हत्या-

क्र.	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	कार्यवाही विवरण
01	कुकदूर	अपराध क्रमांक- 23/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस	सुरेश बघेल पिता बुधराम 58 साल साकिन कुई की हत्या का खुलासा, मृतक द्वारा शराब के नशे में बकरी चराते समय दो नाबालिग बालको को अश्लील गाली गुप्तार करने पर, छुब्ध होकर नाबालिकों द्वारा मारपीट कर हत्या करना, बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।
02	कुकदूर	अपराध क्रमांक- 52/2025 धारा 103(1) बीएनएस	करिया मरकाम पिता मानसिंह 62 साल साकिन कौवानार की हत्या का खुलासा, मृतक करिया मरकाम से अपनी बहन की शादी के लिये पैसा व राहर दाल न देने पर आरोपियों द्वारा मारपीट कर हत्या कर खेत में सुला देना, 03 आरोपियों को जेल भेजा गया।
03	पाण्डातराई	अपराध क्रमांक- 76/2025 धारा- 332(क),103(1) बीएनएस	रामगुलाल पिता अमरसिंह बैगा (मेरावी) उम्र 35 साल ग्राम बकबुड़ा महली हत्या का खुलासा, मृतक का पुत्र आपसी वाद विवाद के कारण तीर कमान व टंगिया से की हत्या, आरोपी पुत्र को भेजा जेल।
04	कवर्धा	अपराध क्रमांक 473/2025 धारा 103(1) बीएनएस	विनोद साहू पिता मोहित साहू उम्र 27 साल साकिन सिंघनपुरी पुलिस चौकी पोंडी हत्या का खुलासा, अवैध संबंध के शक में विश्वनाथ साहू पिता सोनू राम उम्र 35 साल साकिन सिंघनपुरी द्वारा की हत्या, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
05	सिंघनपुरी	अपराध क्रमांक- 32/2025 धारा- 103(1),बीएनएस	झड़ीराम साहू पिता मल्लु साहू 70 साल साकिन सिंघनपुरी हत्या का खुलासा, जमीन का बंटवारा को लेकर आरोपी दीपक साहू द्वारा अपने दादा को पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करना, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
06	बोड़ला	अपराध क्रमांक- 89/2025 धारा 103(1) ,3(5)बीएनएस	अगमदास कुरें हत्या का खुलासा, धारदार टंगिया से जमीन विवाद के कारण आरोपीगण साहेब दास कुरें एवं उसकी पत्नी सरोज बाई कुरें द्वारा हत्या करना, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
07	पाण्डातराई	अपराध क्रमांक- 106/2025 धारा-332ए, 103(1),बीएनएस 08 पोक्सो एक्ट	विद्यानी उम्र 16 साल साकिन खैरवार की हत्या का खुलासा, मृतिका के पिता से जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश होने से आरोपी राजू घृतलहरे पिता भागबली उम्र 35 साल निवासी खैरवार कला द्वारा सब्बल से मार कर हत्या करना, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-:: पुराने गंभीर मामले में वर्ष 2025 में मिली विशेष सफलताएं की जानकारी जिला-कबीरधाम (छ.ग.) ::-

(दिनांक- 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक)

हत्या-

क्र.	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	कार्यवाही विवरण
01	कवर्धा	अपराध क्रमांक- 80/2017 धारा 302, 201 भादवि	डॉक्टर दंपत्ती मर्डर केश का वर्ष 2025 में खुलासा, दिनांक 06.04.2017 को कैलाश नगर स्थित डॉ. गणेश कुमार सूर्यवंशी 54 साल एवं डॉ. उषा सूर्यवंशी पति गणेश सूर्यवंशी 52 साल कैलाशनगर वार्ड नम्बर-2 कवर्धा की 03-04 दिन पुराना शव से बदबू आने की सूचना तत्दीक दौरान मर्ग क्रमांक 21/2017, एवं 22/017 धारा 174 दफ़्त कायम कर शव पंचायतनामा कार्यवाही बाद शव का पी एम कराया गया। संदेही सत्यप्रकाश साहू (डॉक्टर दंपत्ति का ड्राइवर/नौकर) को दिनांक 23-24-25/04/2025 को पालीग्राफ एवं दिनांक 28.05.2025 को संदेही का ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराया गया। मृतक डा0 सूर्यवंशी दम्पति के शव को मकान अन्दर से बाहर निकालकर एक दूसरे से लड़कर मरना दिखाने के लिये मृत्तिका डा0 उषा सूर्यवंशी के शव के उपर डा. गणेश कुमार सूर्यवंशी के शव को डम्प करने एवं घटना के साक्ष्य डायनिंग हॉल एवं प्रेक्टिस रूम अन्दर गिरे खून के छींटे को पानी से साफ कर साक्ष्य मिटाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 201 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी सत्य प्रकाश साहू पिता भाई राम साहू उम्र 35 साल साकिन राम नगर कवर्धा को दिनांक 05.07.2025 को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
02	तरेगांव जंगल	अपराध क्रमांक- 15/2021 धारा 302, 201, 34 भादवि	गनेशिया बाई धुर्वे पति स्व0 सियाराम धुर्वे उम्र 48 साल साकिन सोनतरा मर्डर केश का वर्ष 2025 में खुलासा, जमीन बंटवारा को लेकर हत्या, वैशाखू गोंड ,विश्वनाथ गोंड, गणेश मरकाम द्वारा जमीन की हिस्सा बंटवारा की बात करने पर गनेशिया व इन तीनों लोगो के बीच विवाद हो गया जिससे गुस्से में आकर विश्वनाथ धुर्वे डण्डा से गनेशिया बाई के सीना को पैर से दबाकर डण्डा से मारपीट हत्या करना। आरोपी गणेश मरकाम द्वारा मृत्तिका के तीनों पुत्र कोमल, कमलेश व रमेश व लड़कियों को घटना का समय 18.03.2021 होना बताना बोले, जबकि घटना दिनांक 17.03.2021 की थी विवेचना के दौरान उक्त शंका के आधार पर 05 आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
03	तरेगांव जंगल	अपराध क्रमांक- 13/2023 धारा 302 भादवि	सुन्दर सिंह धुर्वे का हत्या का खुलासा, मृतक का सम्धी अपने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में मारा, आरोपी अपने पत्नि का समधी सुन्दर सिंह धुर्वे के साथ अवैध संबंध होने का शक होने पर अपने पत्नि को हमेशा मारपीट करता था। आरोपी अपने पत्नि और समधी को जान सहित खतम कर दुंगा सोचकर समय का इंतजार कर रहा था, करीबन 02 साल पहले सुन्दर सिंह धुर्वे आरोपी के घर ग्राम बरपानी आया था जो शराब पिया हुआ था और आरोपी से मिलने के बाद ग्राम बरपानी से खैरवार पहाड़ी के पगडन्डी रास्ता से अपने घर शंभुपीपर जा रहा था तभी उनके पीछे पीछे आरोपी गया और सुनसान जंगल को देखकर वही पर हाथ में रखे टंगिया से सुन्दर सिंह धुर्वे को मार कर हत्या करना। आरोपी सुक्कल सिंह परते के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
04	कुकदूर	अपराध क्रमांक- 52/2017 धारा 302, 201 भादवि	राजबाई गोड़ उम्र 14 साल की हत्या का खुलासा, मृत्तिका के प्रेमी एवं 01 अन्य द्वारा हत्या कर चुनरी से बांध कर पेड़ में लटकाना, विवेचना दौरान मृत्तिका का प्रेम संबंध गांव के दयाल बैगा व राम उर्फ रमला गोड़ के साथ होना पता चला था तथा लक्ष्मण टेकाम पिता सिद्धराम टेकाम उम्र 30 साल सा0 नेउर द्वारा अपने कथन में घटना घटित होते देखना डर के कारण घटना को देखने की बात किसी को नहीं बताना। साक्षी लक्ष्मण टेकाम द्वारा माननीय न्यायालय में पेश कर धारा 164 जाफ़ौ का कथन कराया गया। साक्षी लक्ष्मण टेकाम द्वारा दो आदमी रमला व उसके साथी द्वारा चरनू की बेटी को उसकी चुनरी कोलिहामारा के भेलवा पेड़ में टांगते देखना बताया। जिस पर रमला धुर्वे पिता लिखन धुर्वे उम्र 23 साल एवं दयाल बैगा के द्वारा मृत्तिका राजबाई धुर्वे का गला दबा कर हत्या करना व उसकी मृत्यु को फांसी का रूप देने के लिए दोनों के द्वारा उसे उसके चुनरी से बांध कर पेड़ में लटकाना। उक्त आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक-15.12.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

नारकोटिक्स एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही

क्र.	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	कार्यवाही विवरण
01	चित्पूरी	अपराध क्रमांक- 21/2025 धारा 20(ख) 2(सी) एनडीपीएस एक्ट	आरोपी के कब्जे से वाहन क्रमांक RJ17GC9591 में 101.07 किलोग्राम गांजा कीमती- 20,00,000 रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण 01. सावरिया वर्मा पिता बालचंद वर्मा 34 वर्ष पता ग्राम छतरपुरा, थाना जीरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश, 02. होकम सिंह सोंधिया पिता बनेसिंह 28 साल पता ग्राम छतरपुरा, थाना जीरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश 4. अजीत कुमार पिता बशीष्ठा बेहरा 31 साल पता सुड्डकुम्पा थाना सदर जिला कंधमाल उड़िसा 5. रघुनाथ गाण्डा पिता उपेन्द्र गाण्डा 36 साल साकिन जारगीसरू थाना सदर जिला कंधमाल (उड़िसा) 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
02	चित्पूरी	अपराध क्रमांक 27/2025 धारा- 20(ख)2सी नारकोटिक एक्ट	आरोपी के कब्जे से वाहन ट्रक क्र. आरजे 14 जीजी 9595 में 120.049 किलोग्राम गांजा कीमती 25,00,000 /— रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण 1. अकरम पिता बसीर खान 36 साल 2. पणू पिता हरिसिंह 28 साल साकिनान लखारा मोहल्ला हरनावदा, थाना पिड़ावा, जिला झालालवाड़ राजस्थान 3. दत्ता उर्फ दतोत्राय पिता सत्वंता मिश्रा 42 साल साकिन देवली माधोपुर थाना अटमकि, जिला अंगुल उड़ीसा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
03	चित्पूरी	अपराध क्रमांक 32/2025 धारा- 20(ख)2सी नारकोटिक एक्ट	आरोपी के कब्जे से वाहन आईचर ट्रक क्र. पीबी 02 ईजे 3009 में 204.74 किलोग्राम गांजा कीमती 50,00,000 /— रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण 1. ईश्वर सिंह पिता हजारी लाल सिंह 46 साल साकिन जाखौदा, तहसील बहादूरगढ़ जिला झज्जर, हरियाणा 2. रामू सिंह पिता रामकुमार सिंह परमार 34 साल साकिन दौपुरा, तहसील बसेरी, जिला धौलपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
04	चित्पूरी	अपराध क्रमांक 35/2025 धारा- 20(ख)2सी नारकोटिक एक्ट	आरोपी के कब्जे से वाहन हैवी ट्रक क्र. आरजे 40 जीए 0689 में 52.867 किलोग्राम गांजा कीमती 13,00,000 /— रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण 1. सोयल खान पिता शौकत उर्फ शोक्त खान 21 साल साकिन हरनौदा, थाना पिड़ावा जिला झाड़ावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
05	कुक्कुर	अपराध क्रमांक 33/2025 धारा- 20(ख) नारकोटिक एक्ट	आरोपी के कब्जे से टाटा एस छोटा हाथी वाहन क्र. सीजी 17 केएल 4453 में 60.345 किलोग्राम गांजा कीमती 6,00,000 /— रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण 1. दुल्लब पिता सुबाश बिसोई 21 साल साकिन सानदुबली थाना बोरीगुमा जिला कारापुट उड़ीसा 2. दयाशंकर पिता छोटे लाल यादव 51 साल साकिन भिलगौर जिला जिगना जिला मिर्जापुर उ.प्र. 3. परशुराम उर्फ विद्याधर बत्रा तिपा हरिहर 45 साल साकिन कालोनी शाही धमनाहांडी सुतीपदर थाना व तहसील कोटपाड़ जिला कोरापुट उड़ीसा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
05	पंडरिया	अपराध क्रमांक 197/2025 धारा- 21(सी) नारकोटिक एक्ट	आरोपी के कब्जे से नशीली 3600 नग टेबलेट कीमती 7258 /— रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण 1. सूरज पिता श्रवण सोनी 40 साल साकिन बैरासिन चौक पंडरिया कबीरधाम 2. नरेन्द्र पिता रामशरण तिवारी साकिन विप्रनगर रायपुरा थाना डीडी नगर रायपुर छ.ग. को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

बड़ी चोरी/नकबजनी में मिली सफलता

क्र.	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	कार्यवाही विवरण
01	कवर्धा	अपराध क्रमांक - 20/2025, धारा 303 बीएनएस	हाईवा ट्रक क्रमांक CG09-JS-0443 कीमती लगभग 53 लाख रुपये रेत से भरी हुई गाड़ी को ट्रांसपोर्ट नगर कवर्धा से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर भाग जाना। आरोपीगण 1.मोह.उजेर खान उर्फ उज्जी पिता उसमान उम्र 27 साल साकिन सिंगार थाना बिछोर जिला नूह हरियाणा 2.मुसेद खान पिता हनीफ खान उम्र 22 साल साकिन बामनी थाना जुरहेरा जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
02	कवर्धा	अपराध क्रमांक - 156/2025 धारा 303(2),112 बीएनएस	हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एम यू 7477 कीमती लगभग 19 लाख रुपये को अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर भाग जाना। आरोपीगण 01.मोहम्मद उजेर पिता उसमान उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम सिंगार थाना बिछौर जिला नूह (हरियाणा) हाल वार्ड 8 हौजखास महरौली दक्षिण दिल्ली 02.मोहम्मद समीम उर्फ छोटा काला पिता अब्दुल हमीद उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम पल्ला चौकी नरहर थाना नूह जिला नूह हरियाणा 03.मुसेद खान पिता हनीफ खान उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम बामनी थाना जुरहेरा जिला भरतपुर (राजस्थान) 04.जमील पिता समसुद्दीन उम्र 58 वर्ष साकिन राजाका थाना नगीना जिला नूह (हरियाणा) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
03	कवर्धा	अपराध क्रमांक - 242/2025 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस	नकदी रकम 35,00000/- रुपये अपने ही घर से चोरी कर अपने दोस्तों के नाम पर मोबाईल, बुलेट, हुण्डई कार वाहन एवं अन्य सामग्री खरीदना। आरोपीगण 1. दिव्यांशु उमरे पिता संतोष 19 साल साकिन आनंद नगर कवर्धा 2. ओमप्रकाश साहू 3. शिवा श्रीवास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
04	बोड़ला	अपराध क्रमांक - 85/2025 धारा 331(3), 305(क), 317(2)(4)(5) बीएनएस	शक्कर कारखाना राम्हेपुर से हाईवायर पंप एवं इलेक्ट्रिक सामान कीमती 10,00000/- रुपये चोरी करना। आरोपीगण 1. अर्जुन राजपूत पिता कालू 29 साल साकिन राम्हेपुर 2. गुस्ताकुद्दीन उर्फ मन्ना खान पिता हजबुद्दीन 46 साल साकिन पोड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आबकारी एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही

क्र.	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	कार्यवाही विवरण
01	चिल्फी	अपराध क्रमांक- 07/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट	आईचर वाहन कंटेनर क्रमांक एमपी-13-जेडक्यू-5704 के अंदर में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब मध्यप्रदेश का लेबल लगा हुआ कुल शराब की मात्रा 4500000 एमएल (4500 लीटर) कीमती 33,75000 रु परिवहन करते पाये जाना। आरोपीगण 1. अकिल खों पिता सकुर 56 वर्ष साकिन वार्ड नं. 07 भाऊसउ मोहल्ला पंधाना थाना पंधाना जिला खण्डवा (म.प्र.) 2. शेख रऊफ पिता शेख नासिर उम्र 55 वर्ष साकिन वार्ड नं. 42 हातमपुरा थाना मोघट जिला खण्डवा (म.प्र.) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
02	पिपरिया	अपराध क्रमांक- 26/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट	मनोज चन्द्रवंशी के द्वारा शासकीय भूमि पर रखे पैरावट में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु शराब 33.66 बल्क लीटर कीमती 16830 रुपये छुपा कर रखा पाये जाना। आरोपी मनोज पिता छोटू चन्द्रवंशी उम्र 28 साल साकिन लखनपुरकला थाना पिपरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
03	कुकदुर	अपराध क्रमांक- 22/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट	बोलेरो वाहन क्रमांक 10 पी 6651 में अवैध रूप से 351 बल्क लीटर शराब, किमती 1,95,000 लाख रु. शराब परिवहन करते पाये जाना। आरोपी पीयूष महोबे पिता चंदूलाल महोबे निवासी करौंदाटोला खाती थाना अमरकंटक जिला अनुपपुर (म.प्र.) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
04	बोड़ला	अपराध क्रमांक- 199/2025 धारा 34(1)ख, 34(2), 35, 49क, 59क, आबकारी एक्ट एवं 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस	ग्राम कुसुमघटा चौकी पोड़ी में अवैध रूप से नकली शराब बना रहे थे कि सूचना पर रेड कार्यवाही के दौरान एक सीलबंद प्लास्टिक की बोरी मे 49 पाव नकली देशी प्लेन शराब मात्रा 8820 एमएल (8.82 ली.) कीमती 3920 रुपये, एवं नकली शराब बनाने का सामग्री आदि। 1.नंदकुमार कुरें पिता फागुराम 34 साल साकिन पोड़ी थाना बोड़ला 2. इस्लाम पिता अरमान खान 45 साल पोड़ीटोला चौकी पोड़ी 3. शेख साजिद पिता शेख सिकंदर 28 साल साकिन पोड़ीटोला बोड़ला 4. दिनेश चंद्रवंशी पिता मालिकराम चंद्रवंशी उम्र 26 साल साकिन कुसुमघटा बोड़ला के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की गई।

जुआ के तहत बड़ी कार्यवाही

क्र.	थाना	अपराध क्रमांक व धारा	कार्यवाही विवरण
01	भोरमदेव	अपराध क्रमांक 40/25 धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022	उक्त प्रकरण में रुपये पैसे का दाव लगाकर जुआ खेलना, जप्ती 160000 रु. एवं 06 नग मोबाईल जप्त कर 06 आरोपियों के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की गई।
02	बोड़ला	अपराध क्रमांक 196/25 धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रति. अधि. 2022	रुपये पैसे का दाव लगाकर जुआ खेलना, जप्ती 106900 रु. जप्त कर 08 आरोपियों के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की गई।
	रेंगाखार	अपराध क्रमांक 17/25 धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022	रुपये पैसे का दाव लगाकर जुआ खेलना, जप्ती 54700 रु. एवं 08 नग मोबाईल जप्त कर 08 आरोपियों के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की गई।